शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 66/1195/52-1-14-2(एम0एस0डी0पी0)/11

प्रेषक,

सूर्य कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक 29 मार्च, 2014**

विषय -वित्तीय वर्ष 2010-11 में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर के तहसील तुलसीपुर में 02 छात्रावास सहित एक राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण एवं उपकरण, मशीनरी, वाहन आदि हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(19)/2008-पी0पी0I, दिनांक 31.03.2011 से जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर में 02 छात्रावास सहित एक राजकीय पालिटेक्निक के भवन निर्माण, उपकरण आदि हेतु कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 1230.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 6,15,00,000/-(रू0 □: करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) में से धनराशि रू0 3,00,00,000/- (रू0 तीन करोड़ म) शासनादेश संख्या-4347/52-1-11-2(□□0□□0डी0□□0)/11, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 द्वारा यू0□□0 प्रोजेक्ट्स का□□□□□□, □□0 लखनऊ को कार्यदायी संस्था न□□□□ करते हुए अवमुक्त की गयी थी। बाद में उक्त कार्य को करने हेतु शासन के पत्र दिनांक 07.08.2012 द्वारा कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को कार्यदायी संस्था व□□□□ किया गया तथा सम्प्रति उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा ही राजकीय पालिटेक्निक का निर्माण □□□□ □□ □□□ □□

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत राजकीय पालिटेक्निक हेतु प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि रू0 3,15,00,000/- (रू0 तीन करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राविधानित बजट रू0 6750.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध रू0

2171.440 लाख में से स्वीकृत □□ □□□□त करते हुए आपके निवर्तन पर रखने व व्यय क□□□ की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधी□ स्वीकृ□□ प्रदान करते हैं :-

केन्द्रांश 100 प्रतिशत (रू0 लाख में)

क्र0	□□□□	□□□□	□□□	□□□ □□□	□□□ अनुमोदित □□□द्रांश	□□□ राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त (□□0+□□0)	वर्तमान में अवमुक्त प्रथम किश्त		वर्तमान में अवमुक्त □□□ □□□□□
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	□□□□□□□	तुलसीपुर में 02 छात्रावास सहित ए राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण एवं □□□□□, मशीनरी, □□□□ आदि	01	1230.00	1230.00	0.00	300.00	315.00	0.00	315.00
		□□=	01	1230.00	1230.00	0.00	300.00	315.00	0.00	315.00

1- उपरोक्त राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण के लिए अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में मानक एवं शर्तें वही लागू रहेंगी, जो प्रथम किश्त के रूप में रू0 300.00 लाख अवमुक किये जाने विषयक शासनादे -4347/52-1-11-2(□□0□□0डी0□□0)/11, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में निर्धारित की गयी है।

2- उक्त □□□□□ □□□□□, अल्पसंख्यक □ल्याण, □0प्र0 लखनऊ द्वारा कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को हस्तान्तरित की जायेगी।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 □□ □ □- व्यय□ □□ अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्य □ □□ □□□□ परिव्यय- □ □□□□□□-02-समाज क □-800-अन्य □-01-केन्द्रीय □ □□□□□□/□न्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-011-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय पालिटेक्निक का निर्माण (के0 100/□□0 0-□□0+□□0)-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-□-11-526/□□-2014, दिनांक 29.03.2014 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय,

(सूर्य कुमार)
□□□□□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या (1) / □□□□-1-2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- □□□□□□□□□, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, □□□□□□□□□

2- □□□□□□□□□, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□□

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, □0प्र0 □□□□□

4- संयुक्त □□□□, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां □□, पर्यावरण □□□, □□0□□0□0 काम्पलेक्स □□□□ □□□, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत पालिटेक्निक के निर्माण/उपकरण आदि में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का □□□□□□ करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी कार्यदायी संस्था को निर्देशित करने का कष्ट करें।

6- □□□□ □□□□, □□0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□ □□ □□0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

7- □□□□ □□□□, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख □□□□ महोदय के अवलोकनार्थ।

8- □□□□□□, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर।

9- □□□□□□, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, □□□□** □□ इस आशय से प्रेषित कि उक्त □□□□□□ तत्काल प्राप्त कर निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से जारी रखने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□□

11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, □□□□□□□□

12- वित्त (आ□-व्यय□)□□01-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 □□ 01 प्रति।

13- □खाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□, □□□□ □□ □□ आश्य से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर □□□□□ □□□□ का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)

□□□□□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in